इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 दिसम्बर 2020—पौष 4, शक 1942

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2020

सूचना

क्र. A-2817.—मध्यप्रदेश मध्यस्थता नियम, 2016 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 122 एवं 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त संहिता की धारा 122 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने तक या उसके पूर्व रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को प्राप्त हो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्:—

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उप-नियम (2) में, अंक तथा शब्द "10 वर्ष" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "5 वर्ष" स्थापित किए जाएं.

राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 2nd December 2020

NOTICE

No. A-2817.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Mediation Rules, 2016, which the High Court of Madhya Pradesh, hereby, proposes to make in exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India read with Section 122 and Section 128 of the Code of Civil Procedure, 1908, is hereby published as required by Section 122 of the said code for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendments shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any onjection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendments by the Registrar General, Madhya Pradesh High Court, Jabalpur on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the Madhya Pradesh High Court, namely:—

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, in sub-rule (2), for the figure and word "10 years", the figure and word "5 years" shall be substituted.

RAJENDRA KUMAR VANI, Registrar General.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2020

क्र. एफ 15-12-2020-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उप-धारा (2) (क) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आरक्षित एवं संरक्षित वनों में फिल्मांकन के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ –**
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वन फिल्मांकन नियम, 2020 है।
   (2) ये वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन अधिसूचित अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा टाइगर रिज़र्व को छोड़कर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में समस्त आरक्षित एवं संरक्षित वनों एवं वन परिसरों को लागू होंगे।
   (3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं – इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, –
   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16);
   (ख) "कैमरामैन" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से फिल्मांकन के लिए अनुज्ञापत्र जारी किया गया है;
   (ग) "फिल्मांकन" से अभिप्रेत है, स्थिर छायाचित्रण, चलचित्र अथवा चलचित्र निमार्ण का कोई अन्य प्रकार;
   (घ) "आरक्षित वन" एवं संरक्षित वन" का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है परन्तु इसमें टाईगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य, सम्मिलित नहीं है;
3. नियम 15 में यथा वर्णित शर्तों के अधीन उस क्षेत्र के वन मंडलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनों में फिल्मांकन के लिए अनुज्ञापत्र जारी किया जाएगा।